REET 2025
LEVEL-2
वंदन बैच
POLITY
मूल अधिकार
Part -3
LIVE
03-01-2024 07:00 PM

अनु. 15(3) → राज्य महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

मूल संविधान में अनु. 15(1), (II), (III) ही शामिल थे 15(4) (5) व 15(6) को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है।

अनु. 15(4) → राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान

1st संविधान संशोधन - 1951

अनु. 15(5) - राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को (सरकारी + प्राइवेट) संस्थानों प्रवेश हेतु प्रावधान

93वां संविधान संशोधन 2005

अनु. 15(6) → आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों को [EWS] 10% आरक्षण

103वां संविधान संशोधन 2019

आरक्षण

- शिक्षा → अनु. 15
- सरकारी नौकरी → अनु. 16
- राजनीति

अनु. 16 लोक नियोजन व नियुक्ति में अवसर की समानता

16 (1) → राज्य लोक नियोजन व नियुक्ति में अवसर की समानता प्रदान करेगा

16(2) → लोक नियोजन व नियुक्ति में राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान उद्भव, मूलवंश व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

* जहां अनु. 15(1) में 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध था वहीं अनु. 16(2) में 7 आधारों [5 + उद्भव + निवास] पर भेदभाव का निषेध

अनु. 16(3) → संसद विधि बनाकर राज्य क्षेत्र व संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाओं में निवास के आधार पर प्रावधान कर सकती है।

अनु. 16(4) → राज्य पिछड़े वर्गों को लोक नियोजन व नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।

अनु. 340 – राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक आयोग का गठन करेगा।

(1) → काका कालेलकर आयोग – 1953 → असफल

(ii) B.P. मण्डल [बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल] → 1979

समाज में पिछड़े लोग – पिछड़ा वर्ग

समाज में अगड़े लोग → अगड़ा वर्ग

* अन्य पिछड़ा वर्ग [27%] आरक्षण

* 1990 → V.P. सिंह सरकार ने OBC को को 27% आरक्षण दिया

→ P.V. नरसिम्हा राव ने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण

इन्दिरा साहनी वाद → 1992

→ आरक्षण 50% से अधिक नही होना चाहिए

→ OBC का आरक्षण वैध है

→ 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण रद्द कर दिया।

अनु. 16(5) किसी पद हेतु यदि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक आधार पर नियुक्ति की जाती है तो वो इस अनुच्छेद का उल्लंघन नही माना जायेगा।

अनु. 16(6) → लोक नियोजन व नियुक्ति में 10% आर्थिक आधार पर या कमजोर वर्गों को [EWS] आरक्षण दिया जायेगा।

→ 103वां संविधान संशोधन - 2019

अनु. 17 → अस्पृश्यता का अन्त [छुआछूत का अंत]

अनु. 18 → शिक्षा व सेना को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता।